कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2762 / FP/UK/ROAD/ 9349/2015 :देहरादून:दिनांक: 01-06 ~~मई,~~ 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः— जनपद–अल्मोड़ा के अंतर्गत में कोटिला–ग्वाड से सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Proposal No-FP/UK/ROAD/ 9349/2015)

संदर्भः—भारत सरकार का पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/153/2015/एफ0सी0/1472 दिनॉक 23.10. 2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा का पत्रांक 5575/12–1 (2) दिनांक 16.05.2023 एवं पत्रांक 3645/12–1(2) दिनांक 19.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2105/12–1 (2) दिनांक 31. 01.2023 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, **(प्रति संलग्न)** जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.70 है0 ग्राम–विल्लेख सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि दुगने क्षेत्रफल के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि ग्राम विल्लेख 7.70 है0 भूमि वन विभाग के नाम जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं0 1890/ग्यारह–11/18–19 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा कर लिया गया है एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 2145720.00 UTR नम्बर SBIN319264829494 दिनांक 21.09.2019 को जमा कर दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–01)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3253250.00 UTR नम्बर SBIN319264829494 दिनांक 21.09.2019 कुल रू0 5398970.00 मात्र ऑन लाईन द्वारा जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–01 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–02)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate	प्रस्तावक विभाग द्वारा चालान की छाया प्रति संलग्न की गयी है। **(संलग्नक–01 के अनुसार)**

	किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाय। अन्य माध्यमों से जमा की गयी। धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–03)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 2762 / FP/UK/ROAD/ 9349/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

01/6/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

9c

61

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई–मेल *almoraforestdivision@rediffmail.com*

पत्रांक 5575 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 16-5- .2023

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय – **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या 9349 / 2015)**

संदर्भ – **आपका पत्रांक 2057 / FP/UK/ROAD/9349/2015 दिनांक 01.03.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में ग्राम बिल्लेख सिविल सोयम भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित सिविल सोयम भूमि के खाता–खतौनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया था। जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः उक्त क्रम में खाता खतौनी की सत्यापित प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी० सं० 5687
पत्रावली 215
दिनांक 27-5-23

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 5575/ 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

सं० अ० / प्रभारी अल्मोड़ा
आ० का० करें।

प्र० अ० प्र० ल० / नोट
25-5-23

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. – 05966-297600
Fax No. – 05966-297600
Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnkt.pwduk@gov.in

पत्रांक 90 /18सी0 दिनांक, रानीखेत, 11/01/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा,
वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कोट्लिा–ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 1866/12–1(2) दिनांक 28.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत हैः–

क्र. सं.	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 7.70 है0 ग्राम–विल्लेख सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	दुगने क्षेत्रफल के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि ग्राम विल्लेख 7.70 है0 भूमि वन विभाग के नाम जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं0 1890/ग्यारह–11/18–19 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा कर लिया गया है एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 2145720.00 UTR नम्बर SBIN319264829494 दिनांक 21.09.2019 को जमा कर दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3253250.00 UTR नम्बर SBIN319264829494 दिनांक 21.09.2019 कुल रू0 5398970.00 मात्र ऑन लाईन द्वारा जमा कर दिया गया है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाय। अन्य माध्यमों से जमा की गयी। धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	चालान की छाया प्रति संलग्न है।

क्रमंशः पेज–2

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।

भवदीय,

10/01/23

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

10/1/2023

बचनबद्वता का प्रमाण पत्र।

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में कोटिला–गवाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय / भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

10/01/23
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में कोटिला–मचाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantation करा दिया जायेगा।

10/01/23

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत
9/1/2023

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 20-09-2019

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6193490086
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/153/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D RanikhetAlmora
Amount(In Rs)	5398970/-

Amount In Words :Fifty-Three Lakh Ninety-Eight Thousand Nine Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details; UTR SBIN 319264889494

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896193490086 Valid Only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, Eco Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi 110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies m

Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

State Bank of India, Ranikhet, Almora, 21 SEP

Executive Engineer
Construction Division P.W.D.
RANIKHET

गैर जमींदारी विनाश खतौनी ग्राम - बिल्लेख रा०उ०नि० क्षेत्र - बिल्लेख, तहसील - रानीखेत जनपद - अल्मोड़ा

श्रेणी 9(3) ड - कृषि योग्य बंजर भूमि

खाता सं	खातेदार का नाम S/o, पिता का नाम	भौमिक अधिकार वर्ग	खसरा नं	रकबा (हे०)	विवरण (आदेश)
62	बंजर काबिल आबाद XXX-		2	0.093	विकासखण्ड ताड़ीखेत अन्तर्गत कोटिला - गताड़ गाड़ से कुरईखेत तक मोटरमार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम - बिल्लेख रा०उ०नि० क्षेत्र - बिल्लेख तहसील - रानीखेत के गैर जमीं० वि० खतौनी खा० सं० 62 की श्रेणी 9(3) ड बंजर काबिल आबाद भूमि के पैमाइशी खेत नं 5998 मध्ये रकबा 7.430 हे एवं खेत नं 5999 मध्ये 0.270 हे कुल 7.700 हे सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई, भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। ह० अ० रा०उ०नि० बिल्लेख
			3	0.031	
			31	0.026	
			।		
			5998	7.430	
			5999	3.750	
			।		
			6183	0.024	
			6184	0.013	
			6185	0.045	
	योग		991	299.51	

महोदय,
उद्धरण N2A खतौनी असल से तैयार की।

Photo Copy
Attested
सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत
21/04/2023

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...i.c...बिल्लेख
तहसील रानीखेत
जिला - अल्मोड़ा